# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 04/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/117

अनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. कृष्णकुमार पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. घीसुलाल पिता मोहन खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. प्रकाशचन्द्र पित भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 06.10.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज भंवरलाल, घीसुलाल पिता मोहनलाल खटीक के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 888/11 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 892/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 298 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 तक की प्रस्तुत की है।
2. यह कि प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही जब से भूमिया आवंटन हुई, तब से जहा पर भूमियां अलोट हुई एवं उन्हें सिपुर्द कर काबिज किया, मौके पर काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चलें आ रहे हैं। उक्त भूमियों को काफी आर्थिक एवं श्रम खर्च कर काविल काश्त योग्य बनाया। तहसील क्षेत्र रायपुर का नवीन भू–प्रबन्ध हुआ। जिससे राजस्व ग्राम केमुनिया का भी नवीन भू–प्रबन्ध हुआ। प्रार्थीगण के साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 1715 रकबा 1:08 हैक्ट., आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 हैक्ट. कायम किये गये। प्रमाण में नकल मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

3. नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से तरमीम करने या राजस्व अभिलेख में नये सिरे से इन्द्राज करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 हैक्ट भूमि को नवीन नक्शे में मुख्य सड़क से दक्षिण दिशा में त्रिभुजाकार स्थिति में दर्शाया दिया गया, जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर तो दर्ज है, लेकिन मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा उत्तरी ओर दर्ज बिलानाम आराजी सख्या 1713 के 0.40 हैक्ट. भू–भाग पर कब्जा है तथा वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। नवीन राजस्व नक्शे में गलत रूप से तरमीम करके दर्शाया गया हैं, जिससे प्रार्थीगण मौके पर कब्जे के अनुसार पुनः दुरूस्ती करवा अपने नाम आराजी संख्या 1713 रकबा 0.40 हैक्ट. को दर्ज करवाने के अधिकारी है।
4. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर की सीमा में संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की नवीन आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 है0 भूमि को नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती करवाई जाकर उक्त नम्बर के बजाय नवीन आराजी संख्या 1713 रकबा 0.40 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम जरिये इन्द्राज दुरस्ती के दर्ज करवाई जावें। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करवाई जाकर इन्द्राज दुरस्ती का आदेश जारी फरमाया जावें।
5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।
6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम केमुनिया की जमाबन्दी संवत 2048–52 के खाता संख्या 298 में खसरा संख्या 888/11 रकबा 5 बीघा आराजी संख्या 892/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जो खातेदार भंवरलाल, घीसुलाल पिता मोहन खटीक सा. रायपुर के नाम दर्ज थी। भू–प्रबन्ध के दौरान आराजी संख्या 888/11 के नवीन अराजी संख्या 1715 रकबा 1.08 है0, आराजी संख्या 892/2 के नवीन आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 है0 कायम किये गये। उक्त नवीन नक्शा में उक्त आराजी संख्या 1817 रकबा 0.40 है0 मुख्य सड़क के दक्षिणी दिशा में त्रिभुजाकार दर्शाया गया है। मुख्य सड़क के आराजी संख्या 1729 व 1725 है जिसके उत्तरी दिशा में प्रार्थी काश्त कर रहा है।
7. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण को साबिक आराजी संख्या 888/11 रकबा 5 बीघा व 892/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि आंवटित हुई। प्रार्थीगण को मुख्य सड़क के उत्तरी दिशा में 888/11 व सड़क के दक्षिणी दिशा में 892/2 आवंटित हुई है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक नक्शे

सहायक कलक्टर
[illegible] रायपुर

में स्पष्ट है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण सड़क के दक्षिण दिशा में काबिज होकर काश्त कर रहे एवं काश्त कर रहे उसी स्थान पर भूमि आंवटित हुई हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 131 में अन्तर्गत तरमीम दुरस्ती का प्रावधान है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधिविरूद्व होने से खारीज किया जाता है कि प्रार्थी सक्षम धारा में न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा